राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए दिशा निर्देश

जयपुर, 15 सितम्बर। राज्य सरकार ने सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 से संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के आधार पर प्रत्येक परिवार को रैंक प्रदान किया जायेगा, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया से बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जायेगा। जनगणना पूर्णतया पेपरलैस तथा कम्प्यूटराइज्ड होगी तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त परिवारों का सर्वे किया जायेगा। जनगणना में सर्वे का कार्य बेल द्वारा उपलब्ध हैण्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से करवाया जायेगा। बैल द्वारा अपने वैण्डर्स एवं ऑपरेटर तथा तकनीशियन नियुक्त कर इनका संचालन एवं रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले चार्ज सेन्टर के जरिए करवाया जायेगा। एस.ई.सी.सी. (SECC-2011) के कार्यो के लिए जिला कलेक्टर प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

परिपत्र के अनुसार प्रगणना प्रारंभ से पूर्व तैयारी हेतु जिला कलेक्टर जिला स्तरीय सेल की स्थापना कर विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उनको उनकी विशिष्ट भूमिका एवं जिले की जिम्मेदारियों से अवगत करायेंगे तथा रसीद एवं स्टीकर का मुद्रण करवा कर उपलब्ध करवायेंगे।

जनगणना–2011 कार्य बेल द्वारा उपलब्ध कराये गये टेबलेट पी.सी. के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। संक्षिप्त मकान सूची उपलब्ध करवाना एवं प्रत्येक जिले से 2 मास्टर ईनर फेसिलिटेटर एवं प्रति चार्ज कार्यालय में 3 मास्टर ईनरो का चिन्हीकरण एवं नियुक्ति 15 सितम्बर,2011 तक करनी होगी। इनका चयन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, महाविद्यालय व्याख्याता आदि में से किया जायेगा तथा प्राईमरी शिक्षकों को इस कार्य में नहीं लिया जायेगा।

परिपत्र के तहत प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का समयबद्ध प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार 31 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी प्रकार टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर्स को भी सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के विषय में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के लिए पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक सितम्बर

जारी ...2

माह के तृतीय सप्ताह में, पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सितम्बर माह के चतुर्थ सप्ताह में आयोजित की जायेगी। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) द्वारा नियुक्त वैण्ड़र जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर आधे दिवस का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, जिसमें जनगणना कार्य की विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

जिला कलेक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी द्वारा यदि किसी संक्षिप्त मकान सूची में कोई हाउस होल्डर छूट गया हो तो लिस्ट को अद्यतन करेंगे। प्रगणक प्रत्येक घर पर जायेंगे तथा घर बन्द मिलने अथवा परिवार के सदस्यों के नहीं मिलने पर ऐसे भवनों की पुनः विजिट करेंगे। सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घरों की विजिट अनिवार्य रूप से हो गई है। यदि ब्लॉक का प्रगणन कार्य पूर्ण होने पर भी ऐसे हाउस होल्डर बच जाते हैं तो सुपरवाइजर इसकी सूचना चार्ज अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रगणना के दौरान पारदर्शिता बरती जायेगी। प्रगणना के दौरान उस क्षेत्र के समस्त विकास अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा 0.50 प्रतिशत परिवारों का निरीक्षण किया जायेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के 25–25 परिवारों का निरीक्षण किया जायेगा। जिला कलेक्टर जिले के 100 परिवारों का रेण्डम बेसिक निरीक्षण करेंगे।

परिपत्र के अनुसार चार्ज अधिकारी द्वारा प्रगणक से कार्य पूर्णता पत्र प्राप्त करेंगे। चार्ज कार्यालय स्तर पर जनगणना की दैनिक सूचना एन.आई.सी. के मैन सरवर पर हस्तान्तरित की जायेगी।

प्रत्येक जिला कलेक्टर से अपेक्षा की गई है कि वे जिले के घुमन्तू जाति, आवास हीन परिवार एवं इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना जनगणना कार्य के दौरान आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिले का समस्त जनगणना कार्य पूर्ण होने पर पुनः तीन से पांच दिवस का अभियान चलाया जायेगा ताकि किन्हीं कारणों से सूचना दर्ज कराने से वंचित रहे परिवारों को सूचना दर्ज कराने का अवसर मिल सके।

प्रगणना के उपरान्त जिला कलेक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी द्वारा मसौदा सूची का प्रकाशन करवाया जायेगा जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रमांक : 4394/1/2011

देवेन्द्र/अंगिरा/तरूण

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी के लिए नियुक्त

जयपुर, 15 सितम्बर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के लिए जिला कलेक्टर को प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जाति अधिकारी जनगणना–2011 नियुक्त किया है।

अधिसूचना के तहत अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, समकक्ष अधिकारी को जिला सामाजिक आर्थिक अधिकारी एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी–2011, जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को अतिरिक्त सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी को सहायक सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 अधिकारी तथा तहसीलदार को चार्ज अधिकारी, सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 नियुक्त किया है।

क्रमांक : 4395/1/2011

देवेन्द्र/अंगिरा/तरूण

(1) महका भारत दि० 15.09.2011

जननी शिशु सुरक्षा योजना का शुभारम्भ

बेगूं, 14 सितम्बर (कासं)। प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं जिले के प्रभारी मंत्री भरतसिंह ने बुधवार को यहां मां और शिशु के अनमोल जीवन की सुरक्षा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया। लालबाई फूल बाई चौक में जननी शिशु सुरक्षा योजना के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की जितनी अधिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी उतना ही अधिक लोगों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे सरकारी योजनाओ का अधिक से अधिक प्रचार कर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करें। सरकार द्वारा प्रसूता महिलाओं को उनके घर से चिकित्सालय लाने एवं प्रसव के बाद घर पहुंचाने तथा शिशु की समस्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश में एक लाख 18 हजार वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। जिले में लगभग चार हजार वाहन इसके लिए उपलब्ध होंगे। चितोड़गढ़ जिले को 1 नम्बर दिया जाएगा। एक नम्बर डायल करने पर वाहन सेवा उसके घर पहुंच जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार की इस योजना से शिशु दर में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर यदि कोई कमी सामने आई तो उसे दूर किया जाएगा। प्रभारी मंत्री भरतसिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयो में आगामी 2 अक्टूबर से सभी वर्गों के लोगों को निशुल्क दवाइयां मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज लिंगानुपात में कमी आ रही है जो चिन्ता का विषय है। उन्होंने आम वर्ग से आह्वान किया कि वे बच्चे एवं बच्ची को समान भाव से देखे नहीं तो यह गंभीर चुनौती हमें खा जाएगी। समारोह को जिला कलक्टर रवि जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रवि प्रकाश शर्मा ने जननी शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जानकारी दी। समारोह को नगरपालिका चेयरमैन वृद्धिचंद कोठारी ने सम्बोधित करते हुए चिकित्सालय सहित सड़क की समस्या बताई।

समारोह को पूर्व मंत्री राव हरिसिंह, पंचायत समिति प्रधान रूकमादेवी रेगर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी नरेन्द्र शर्मा ने भी सम्बोधित किया। समारोह में उपखण्ड अधिकारी अरविन्द सक्सेना, तहसीलदार मदनसिह चौहान सहित बड़ी संख्या मे लोग मौजूद थे।

(2) दैनिक नवज्योति

कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश

जयपुर, 14 सितम्बर। राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास सी.एस.राजन ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कम्प्यूटरीकृत चार्ज रूम मे कम्प्यूटर, इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य सुविधाओं के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। चार्ज कार्यालय मे सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कार्य सम्पादित किया जाएगा जो एक अलग कमरे में स्थापित होंगे। जिससे तहसील के रुटीन कार्यालयों मे कोई बाधा उत्पन्न नही हो। कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय की पूरी तैयारी 25 सितम्बर तक कर ली जाएगी तथा एक अक्टूबर तक चार्ज कार्यालय का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कार्य फरवरी या जनगणना पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हर तहसील स्तर पर स्थापित किए जाने वाले चार्ज सेन्टर में हैण्ड डिवाइस को भारत इलेक्ट्रोनिक्स के अधिकृत वैण्डर के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। वहीं से प्रतिदिन जनगणना संबंधी सूचनाएं एनआईसी के मुख्य सर्वर पर सम्प्रेषित की जाएंगी और हैण्ड हैल्ड डिवाइस के चार्ज करने की व्यवस्था इसी चार्ज सेंटर पर की जाएगी। परिपत्र से संबंधित जानकारी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू रूरल एनआईसी इन पर सेक2011 लिंक के रूप मे उपलब्ध है।

जिला स्तर पर अलग सेल गठित-

जारी परिपत्र में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व मे एक अलग सेल का गठन किया गया है। इस सेल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोषाधिकारी एवं लेखाधिकारी समकक्ष स्तर के अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य होंगे। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य राज्य में एक नवम्बर से शुरू किया जाएगा।

(3) महका भारत दि० 15-09-2011

-सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011-

आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश

जयपुर, 14 सितम्बर (कासं)। राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के लिए कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने सम्बन्धी निर्देश जारी किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज सी.एस. राजन ने बताया कि समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र जारी कर कम्प्यूटरीकृत चार्ज रूम में कम्प्यूटर, इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि कम्प्यूटीकृत चार्ज कार्यालय में सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे अनवरत कार्य सम्पादित किया जाएगा जो एक अलग कमरे में स्थापित होंगे जिससे तहसील के रूटीन कार्यालयों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय की पूर्ण तैयारी 25 सितम्बर-2011 तक करली जाएगी तथा एक अक्टूबर 2011 तक चार्ज कार्यालय का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। यह कार्य फरवरी 2012 अथवा जनगणना सम्पूर्ण होने तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थापित किए जाने वाले चार्ज सेंटर में हैण्ड हैल्ड डिवाईस को भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. (बेल) के अधिकृत वैण्डर के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। वहीं से प्रतिदिन जनगणना सम्बन्धी सूचनाएं एन.आई.सी. के मुख्य सर्वर पर सम्प्रेषित की जाएंगी और हैण्ड हैल्ड डिवाईस के चार्ज करने की व्यवस्था इसी चार्ज सेंटर पर की जाएगी।

राजन ने बताया कि जनगणना का सम्पूर्ण कार्य टेबलेट पी.सी. से किया जाएगा जिसको प्रतिदिन चार्ज किया जाएगा। कमरे में दो कम्प्यूटर तथा डीवीडी स्टोरेज के लिए कन्ज्यूमेबल्स डाटा ट्रांसफर एण्ड बैकअप के लिए खाली डीवीडी तथा ब्रॉडबैण्ड इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित होगी जिससे प्रतिदिन सेंटर सर्वर (एन.आई.सी.) में डाटा अपलोड किया जाएगा।

कम्प्यूटीकृत चार्ज कार्यालय की स्थापना के लिए कम्प्यूटर, प्रिन्टर की सप्लाई के आदेश जारी करने की तिथि 22 सितम्बर 2011 तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एक अक्टूबर, 2011 निश्चित की गई है। परिपत्र से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट www.rural.nic.in ij SEC2011 लिंक के रूप में उपलब्ध हैं।

(4) दैनिक भास्कर

जाति जनगणना के लिए अलग सेल का गठन

जयपुर। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के क्रियान्वयन के लिए राज्य में जिला स्तर पर कलेक्टर के नेतृत्व में एक अलग सेल का गठन किया है। परिपत्र के अनुसार जिला परिषद के सीईओ, कोषाधिकारी एवं लेखाधिकारी समकक्ष स्तर के अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी इसके सदस्य होंगे। उल्लेखनीय है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य राज्य में 1 नवम्बर 2011 से प्रारंभ किया जाएगा।